विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 70

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		676.92	56.84	733.76	364.06	58.41	422.47	962.40	62.47	1024.87
पूंजी		*2823.08*	*...*	*2823.08*	*1485.94*	*...*	*1485.94*	*2637.60*	*...*	*2637.60*
जोड़		**3500.00**	**56.84**	**3556.84**	**1850.00**	**58.41**	**1908.41**	**3600.00**	**62.47**	**3662.47**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.00	8.24	9.24	1.43	8.86	10.29	1.00	9.61	10.61
विद्युत										
सामान्य										
2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	26.32	35.90	62.22	8.63	36.12	44.75	106.40	37.31	143.71
	4801	3.14	...	3.14	1.88	...	1.88	2.60	...	2.60
	जोड़	*29.46*	*35.90*	*65.36*	*10.51*	*36.12*	*46.63*	*109.00*	*37.31*	*146.31*
3. *अनुसंधान और विकास*										
3.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	2801	25.00	...	25.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
4. प्रशिक्षण										
4.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण अनुसंधान (एन पी टी आई)	2801	24.60	6.70	31.30	5.00	6.70	11.70	10.00	5.00	15.00
5. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2801	...	5.00	5.00	...	5.73	5.73	...	9.55	9.55
7. विद्युत वित्त निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2801	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
8. पावरग्रिड निगम को सहायता अनुदान	2801	80.00	...	80.00	20.00	...	20.00	2.00	...	2.00
9. ग्रामीण विद्युतीकरण को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2801	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	200.00	...	200.00
10. वितरण सुधार के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता	2801	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
11. एपीडीआरपी प्रोजेक्ट के लिए परामर्शी प्रभार	2801	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
12. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा	2801	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
13. ग्रामीण विद्युतीकरण आपूर्ति प्रौद्योगिकी मिशन	2801	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	7.50	...	7.50
14. विद्युत रहित ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण	2801	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़-सामान्य		**579.06**	**47.60**	**626.66**	**294.51**	**48.55**	**343.06**	**664.00**	**51.86**	**715.86**
ताप विद्युत उत्पादन										
15. *बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र*										
15.01 राजस्व व्यय	2801	...	1141.00	1141.00	...	1044.93	1044.93	...	1080.00	1080.00
15.02 घटाइए राजस्व व्यय	2801	...	-1140.00	-1140.00	...	-1043.93	-1043.93	...	-1079.00	-1079.00
निवल व्यय		*...*	*1.00*	*1.00*	*...*	*1.00*	*1.00*	*...*	*1.00*	*1.00*
पारेषण और वितरण										
16. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (कुटीर ज्योति)	2801	90.00	...	90.00	60.00	...	60.00	250.00	...	250.00
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए	2552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
परियोजना/योजनाएं	4552	933.08	...	933.08	615.70	...	615.70	1179.07	...	1179.07
जोड़ - विद्युत		**1612.14**	**48.60**	**1660.74**	**980.21**	**49.55**	**1029.76**	**2143.07**	**52.86**	**2195.93**
19. सरकारी उद्यमों में निवेश	4801	1886.86	...	1886.86	868.36	...	868.36	1455.93	...	1455.93
कुल जोड़		***3500.00***	***56.84***	***3556.84***	***1850.00***	***58.41***	***1908.41***	***3600.00***	***62.47***	***3662.47***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
18.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	12801	5.00	4496.00	4501.00	...	4515.00	4515.00	...	4755.00	4755.00
18.02 राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम	12801	1414.55	1138.58	2553.13	810.36	1116.63	1926.99	1141.93	1045.86	2187.79
18.03 दामोदार घाटी निगम	12801	...	1450.00	1450.00	...	599.26	599.26	...	999.70	999.70
18.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम	12801	...	198.00	198.00	...	135.50	135.50	...	265.00	265.00
18.05 नाथपा झाकरी विद्युत निगम	12801	...	758.05	758.05	...	636.00	636.00	...	592.00	592.00

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2003-2004 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	संशोधित 2003-2004 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट 2004-2005 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
18.06 टिहरी जल विकास निगम	12801	467.31	456.98	924.29	58.00	920.38	978.38	314.00	934.76	1248.76
18.07 पावरग्रिड निगम	12801	...	2670.00	2670.00	...	2265.00	2265.00	...	3438.00	3438.00
18.08 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए परियोजना/योजनाएं	12801	933.08	...	933.08	615.70	...	615.70	1179.07	...	1179.07
जोड़		**2819.94**	**11167.61**	**13987.55**	**1484.06**	**10187.77**	**11671.83**	**2635.00**	**12030.32**	**14665.32**
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना										
विद्युत	12801	2556.92	11167.61	13724.53	1224.30	10187.77	11412.07	2370.93	12030.32	14401.25
पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	943.08	...	943.08	625.70	...	625.70	1229.07	...	1229.07
जोड़		**3500.00**	**11167.61**	**14667.61**	**1850.00**	**10187.77**	**12037.77**	**3600.00**	**12030.32**	**15630.32**

1. **सचिवालय** : इसमें विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय की व्यवस्था है।

2. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण** : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण तथा उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों के बीच समन्वय करता है। यह विद्युत साधनों का सर्वेक्षण और अध्ययन करने, विद्युत के उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने और उनका रिकार्ड रखने तथा विद्युत साधनों के विकास के लिए भी उत्तरदायी है।

3. **अनुसंधान और विकास** : केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर विद्युत पर अनुसंधान करने में लगा हैं। केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला है तथा यह विद्युत उपस्कर एवं संघटकों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है।

4. **प्रशिक्षण**: इसमें राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, जो विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न है, पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

5. **संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग** : इस योजना के अधीन एक संयुक्त विनियामक आयोग की स्थापना की जानी हैं जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम शामिल है।

6. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग**: विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया है। केन्द्रीय आयोग अर्ध-न्यायिक प्रास्थिति वाला एक सांविधिक निकाय है। नया विद्युत अधिनियम, 2003 दिनांक 10 जून, 2003 से लागू हो गया है। स्थापना और टैरिफ मामलों पर व्यय करने के लिए प्रावधान किया गया है।

7. **विद्युत वित्त निगम को ब्याज सब्सिडी**: त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (ए जी एंड सी पी) के अन्तर्गत /विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए राज्य विद्युत निगम, उत्पादन योजनाओं, लुप्त पारेषण सम्पर्कों आदि को ब्याज सब्सिडी दी जाती है। भारत सरकार ने एजी तथा एसपी योजना को दसवीं योजना के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है।

8. **पावरग्रिड को सहायता अनुदान** : पूर्वोत्तर राज्य में एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना के लिए।

9. **ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ब्याज सब्सिडी** : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक स्कीम को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों पर अविद्युतीकृत ग्रामों जिनमें दलित बस्तियां शामिल है, के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

10. वितरण सुधारों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता : इस स्कीम का उद्देश्य क्षेत्र स्तर तक दक्षता प्राप्त एवं प्रशिक्षित वितरण प्रबंधकों की आवश्यकता की पूर्ति करना है ताकि विद्युत वितरण क्षेत्र में जवाबदेही, ऊर्जा लेखापरीक्षा तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

11. **एपीआरडीपी परियोजनाओं के लिए परामर्शी प्रभार** : पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए एपीआरडीपी के अधीन सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु एक प्रस्ताव बनाया गया है, बिल संबंधी कार्य एवं राजस्व वसूली में सुधार के लिए जीआईएस मैपिंग, एससीए डीए/ डीएमएस आदि के क्षेत्रों में नयी प्रौद्योगिकियों को वितरण क्षेत्र की बहाली हेतु अपनाना अपेक्षित है।

12. **मूल्यांकन अध्ययन तथा परामर्श सेवा हेतु निधियाँ** : उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क जिसमें ऊर्जा लेखाकरण एवं मीटर व्यवस्था शामिल है, के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी विशेष परियोजनाओं के मूल्यांकन का एक प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत वितरण क्षेत्रो में निधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाना है । इसके लिए सलाहकार एवं परामर्शदाताओं और राज्य विद्युत सुविधाओं के बीच पारस्परिक सम्पर्क स्थापित होना आवश्यक होगा जिसके लिए तीव्र संचार हेतु पीसी, इंटरनेट सुविधाओं, टेलीफोन आदि के मामलें में आधारभूत ढांचा सेवाओं की स्वीकृत नगरों/ शहरों एवं सर्कलों में की जाने वाली नियमित यात्राओं के साथ आवश्यकता होगी।

13. **ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रौद्योगिकी मिशन** : "रेस्ट" मिशन का उद्देश्य ऐसी प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है जो अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विनिर्माताओं, उद्यमियों, अन्य जोखिम धारकों से तालमेल कर सके ताकि भारत में गांवों को उचित दरों पर गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान की जा सके।

14. **विद्युत रहित ग्रामीणों क्षेत्रों का सर्वेक्षण**: यह एक नयी स्कीम है।

16. **कुटीर ज्योति कार्यक्रम** : हरिजनों और आदिवासियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण निर्धनों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के घरों में एकल प्वाइंट बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में 'कुटीर ज्योति' योजना शुरु की। यह दिनांक 31.3.2003 तक 57,85,228 कनेक्शन जारी किए गए तथा दिनांक 15.12.2003 तक 60,49,554 कनेक्शन जारी किए गए थे।

18. **सरकारी उद्यमों में निवेश** :

18.01 **नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी)** : केन्द्रीय क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. की स्थापना नवम्बर, 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक ताप विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य कोलपिट हेड में सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना था।

18.02 **नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन. एच. पी. सी.)**: नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में पन बिजली परियोजनाओं के तीव्र, सक्षम और कम खर्चीले रूप से पूरा करने और प्रचालित करने की दृष्टि से वर्ष 1975 में की गई थी। कारपोरेशन ने अभी तक केन्द्रीय क्षेत्रक में 8 पन बिजली परियोजनाओं तथा 3 परियोजनाओं (देवीघाट, कल्पोग और कुरिचुको एजेंसी आधार पर) निर्माण कार्य पूरा किया है और मार्च, 2003 के अन्त तक अतिरिक्त 2254.35 मेगावाट सृजन क्षमता की वृद्धि की है। कारपोरेशन इस समय जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना (390 मेगावाट), उ. प्र. में धौलीगंगा परियोजना, चरण- I (280 मेगावाट) तथा हि. प्र. में चमेरा चरण-II (300 मेगावाट), सिक्किम में तीस्ता चरण-V (510 मेगावाट), मणिपुर में लोकतक अधोप्रवाह (90 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर (200 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर में सेवा-II (120 मेगावाट) तथा पश्चिम बंगाल में तीस्ता निचला बांध-III (132 मेगावाट) के निर्माण में लगा हुआ है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं अर्थात एनएचडीसी के साथ इन्द्र सागर तथा ओमकारेश्वर, का भी निष्पादन कर रहा है।

18.03 **दामोदार घाटी निगम (डी. वी. सी.)** : डी.वी.सी की स्थापना जुलाई, 1948 में दामोदर घाटी में सिंचाई, जलापूर्ति, जल निकासी, तापीय और पन बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण को प्रोत्साहन और प्रचालन के लिए की गई थी।

18.04 **पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम (एनईईपीसीओ)** : पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत केन्द्रों को तैयार करने, उन्हें प्रोत्साहन देने, अनुसंधान, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, संचालन तथा उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 2 अप्रैल, 1976 को पंजीकृत किया गया था । निगम ने (कोपीली जल विद्युत परियोजना से 150 मेगावाट; कोपीली जल विद्युत परियोजना प्रथम चरण विस्तार से 100 मेगावाट, डोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड से 75 मेगावाट, अरूणाचल प्रदेश में रंगानदी जल विद्युत परियोजना से 405 मेगावाट, असम गैस आधारित संयुक्त चक्र परियोजना से 291 मेगावाट तथा अगरतला गैस टरबाइन विद्युत परियोजना से 84 मेगावाट संचालन सहित) 1105 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता प्राप्त की है ।

18.05 **नाथपा झाकरी विद्युत निगम (एन.जे.पी.सी.)** : हिमाचल प्रदेश के सतलुज बेसिन में जल विद्युत पॉवर परियोजनाओ की योजना बनाने, संवर्धन करने, संचालन करने, निष्पादन करने, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण के लिए मई, 1988 में निगमित किया गया था। निगम वर्तमान में नाथपा झाकरी एच.ई.पी (1500 मैगावाट) संचालित कर रहा है। यह परियोजना भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। दोनों भागीदार परियोजना की लागत को क्रमशः75:25 के अनुपात में बांटेंगे।

18.06 **टिहरी पन बिजली विकास निगम (टी.एच.डी.सी.)** : टिहरी पन-बिजली विकास निगम टिहरी में भागीरथी नदी और इसकी सहायक नदियों के पन-बिजली संसाधनों और अनुप्रवाह के एकीकृत और कुशल उपयोग के लिए जुलाई, 1988 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था । टिहरी पन बिजली विकास निगम को टिहरी पन बिजली परिसर के निर्माण का काम दिया है जिसमें (क) टिहरी बांध और एच. ई. परियोजना चरण i (1000 मैगावाट, (ख) कोटेश्वर बांध और एच. ई. परियोजना (400 मैगावाट) और (ग) टिहरी पंप भंडारण परियोजना (1000 मैगावाट) शामिल हैं । फिलहाल यह निगम टिहरी बांध और एच.ई. परियोजना चरण i (1000 मैगावाट) और कोटेश्वर बांध एच. ई. परियोजना (400 मेगावाट) पर काम कर रहा है ।

18.07 **पावर ग्रिड कारपोरेशन** : पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सुदृढ़ वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं मितव्ययिता के साथ क्षेत्र के अन्दर एवं बाहर विद्युत अन्तरण को सरल बनाने के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित एवं संचालित करने हेतु 1989 में निगमित किया गया था। संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार एन.टी.पी.सी., एन. एच.पी.सी., एन.ई.ई.पी.सी.ओ. तथा एन.एल.सी. को पारेषण प्रणाली अप्रैल, 1992 से पी.जी.सी. आई.एल. को हस्तांतरित कर दी गई। पावरग्रिड पारेषण नेटवर्क का योगदान देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 40 प्रतिशत है।